प्रेस नोट

जनपद: भदोही

दिनांक: 12.09.2026

## थाना ज्ञानपुर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी व धमकी देने के मामले में फरार ₹15,000/- का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

थाना ज्ञानपुर पर आवेदक आनन्द दुबे द्वारा पंकज उपाध्याय, मनीष शुक्ला, सचिन उपाध्याय और आशीष दुबे पर क्रशर और टोल बूथ बिजनेस में निवेश के नाम पर ₹1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आरोपियों ने एक न्यायाधीश (ए0डी0जे0) के नाम की फर्जी व्हाट्सएप चैट दिखाकर प्रार्थी का भरोसा जीता और RTGS के जरिए रकम ट्रांसफर करवाकर हड़प ली। उक्त सूचना पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही में मु०अ०सं० 71/24 धारा 409/420/120बी/506/467/468/471 भादवि के तहत मामला पंजीकृत था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आशीष दुबे के विरुद्ध धारा 82 व 83 सीआरपीसी के तहत आदेश प्राप्त थे और वह लगातार फरार चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही द्वारा दिनांक 10.09.2026 को इस अभियुक्त पर ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) का पुरस्कार घोषित किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 12.09.2026 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर सिहंपुर नहर पुलिया पर पाबंदी लगाकर घेराबंदी करते हुए इनामी अभियुक्त आशीष दुबे को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशीष दुबे पुत्र स्व० केदारनाथ दुबे, निवासी लखनो, थाना ज्ञानपुर, जनपद भदोही उम्र लगभग 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्रभारी निरीक्षक रामसरीख गौतम (थाना ज्ञानपुर), उ०नि० विजय बहादुर सिंह, हे०का० अजय कुमार सिंह, हे०का० छठ्ठूलाल गुप्ता, का० राहुल पटेल, म०का० सीमा यादव, एवं का० राघवेंद्र थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही।